माननीय न्यायालय समादरणीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प

उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क. /15 निगरानी

अध्यक्ष आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दडोली तह. जावद जिला **नीमच**.........आवेदक

विरूद्ध

1. मोहम्मद सलीम पिता हुसैना मुसलमान,
2. रमजान मोहम्मद पिता हुसैना मुसलमान, निवासी– दडोली, तहसील–जावद जिला नीमच,
3. विक्रय एवं वसूली अधिकारी, सेवा सहकारी समिति, नीमच।
4. मोहम्मद इशाक पिता हुसैन मुसलमान, निवासी– मोरवन, तह. जावद।

........अनावेदकगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 1/12/15
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) उपखण्ड जावद जिला नीमच का अपील कमांक 25/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2015 से असंतुष्ठ एवं दुखित होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत अंदर अवधि प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी/रेस्पॉडेंट क. 1 अध्यक्ष आदिम जाति सहकारी समिति दडोली की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-9-तीन/16 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	